आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी,तारिख सहित
1	2	3

03/1/20

आदेश

अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह–जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका के द्वारा प्रथम अपील में दिनांक–04.10.2019 को पारित आदेश के विरूद्व परिवादी नरेश मिश्र, पिता–स्व0 राजेन्द्र मिश्र, ग्राम–चौबेडीह, प्रखंड–बाराहाट, जिला–बांका के द्वारा द्वितीय अपील दायर किया गया है जिसका अनन्य संख्या– 523110116051993269/2A वर्ष–2019 नरेश मिश्र बनाम् अंचल अधिकारी, बाराहाट है।

अंचल अधिकारी, बाराहाट से परिवाद के आलोक में पत्रांक–688 दिनांक–05.12.2019 एवं पत्रांक–747 दिनांक–18.12.19 से प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक–09.09.2019 को स्थल पर परिवादी के पुत्र जयकान्त मिश्र उपस्थित हुए। साथ ही गॉव के प्रबद्ध ग्रामीण भी उपस्थित हुए। उनके पुत्र द्वारा सन् 1905 ई0 का नक्शा प्रस्तुत किया गया। परिवादी का मकान 1905–06 ई0 के नक्शा अनुसार खेसरा सं0–452 में है जो परिवादी के मकानमय सहन से खेसरा सं0–464 आम रास्ता 132 फीट दक्षिण तरफ में है। वर्त्तमान में परिवादी को आने–जाने का रास्ता खेसरा सं0–463 एवं 448 के मेड़ एवं गली स्वरूप में 1905–06 ई0 के नक्शा के अनुसार है। परिवादी रास्ता की मांग चक नक्शा के अनुसार करते है। मौजा ककरिया का चक नक्शा प्रकाशित हो गया है लेकिन कास्तकार चक नक्शा के अनुसार दखल पर नहीं है एवं पूराने खतियान के अनुसार संधारित है। चक नक्शा में रास्ता बना है जो खेसरा सं0–476 है। यह पुराना खेसरा सं0–448 से बना है जो खतियानी एवं रैयती जमीन है। परिवादी को खेसरा सं0–463 एवं 448 से होकर रास्ता है जो रैयती भूमि है। प्रश्नगत मौजा का चकबंदी/सर्वे खतियान फाईनल नहीं है एवं पूराने खतियान के आधार पर पंजियॉ एवं नक्शा संधारित है। परिवादी का आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

निर्धारित तिथि पर परिवादी उपस्थित है। सुनवाई की गयी। परिवादी द्वारा अगली निर्धारित तिथि पर अपना लिखित बहस भी दाखिल किया गया है। अवलोकन किया गया।

अंचल अधिकारी, बाराहाट के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मौजा सर्वे एवं चकबंदी खतियान फाईनल नहीं है। परिवादी चक नक्शा के अनुसार रास्ता चाहते है जो चकबंदी फाईनल नहीं होने के कारण पूराने सर्वे अनुसार रैयती भूमि है।

अतः विचारोपरांत अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला पदाधिकारी,
बांका

जिला पदाधिकारी
–सह–
द्वितीय अपीलीय प्राधिकार,
जिला लोक शिकायत निवारण,
बांका।